सं0सं0–6/N-08-185/2018...990(6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

दिनांक– 5/8/2019

विषयः राज्य के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में नर्सिंग संस्थानों की स्थापना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना हैं कि राज्य के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में नर्सिंग शिक्षा हेतु मान्यता प्राप्त ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 (नर्सिंग)/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग) एवं एम0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। नर्सेज ट्रेनिंग–रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इक्जामिनेशंस ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–04 के उपनियम–II के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानानुसार नर्सिंग संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया जाता है। तदोपरान्त उपनियम–III के आलोक में विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्थान का निरीक्षण कराकर मान्यता प्रदान किया जाता है।

2– संस्थान का संचालन नियमानुकूल नहीं किये जाने के संबंध में यदा–कदा शिकायत प्राप्त हो रही है। नर्सिंग सस्थानों के शैक्षणिक भवन में नर्सिंग पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त बी0एड0, डी0एड0, अन्य पारामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित किये जाने एवं मानक के अनुरूप संसाधन उपलब्ध नहीं होने के संबंध में भी शिकायत प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार नर्सिंग शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रतिबद्ध एवं सतत् प्रयासरत है। इसके निमित प्रस्तावक संस्थान के पास उपलब्ध भौतिक संसाधनों यथा :– भूमि, शैक्षणिक भवन एवं छात्रावास भवन की जांच जिला पदाधिकारी अथवा जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3–राज्य के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में नर्सिंग स्कूल/संस्थान की स्थापना के लिए निम्नवत दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया निर्धारित किया जाता है :–

(i) भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा नर्सिंग संस्थानों की स्थापना के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक भवन एवं छात्रावास भवन का अलग–अलग मानक निर्धारित है। मानक की प्रति वेबसाईट www.indiannursingcouncil.org पर उपलब्ध है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम हेतु 80 डिसमिल तथा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 150 डिसमिल भूमि की उपलब्धता से संबंधित मापदण्ड निर्धारित है। यदि एक ही संस्थान में ए0एन0एम0 के

अतिरिक्त जी0एन0एम0 / बी0एस0सी0 (नर्सिंग) / पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग) / एम0एस0सी0 (नर्सिंग) संचालित किया जाना हो तो 150 डिसमिल भूमि पर्याप्त होगा। शैक्षणिक भवन, छात्रावास भवन तथा भूमि से संबंधित अभिलेख प्रस्तावक ट्रस्ट / सोसाईटी / कम्पनी अथवा नर्सिंग संस्थान के नाम से निबंधित हो सकता है। लीज की स्थिति में भूमि के मामले में 30 वर्षों का निबंधित लीज अनिवार्य है। नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए मानक के अनुरूप शैक्षणिक भवन, छात्रावास भवन तथा भूमि की उपलब्धता की जांच एवं अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सभी जिला पदाधिकारी एक पक्ष के अन्दर वरीय समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को सक्षम प्राधिकार नामित करेगें।

(ii) नर्सिंग संस्थानों की स्थापना के निमित प्रस्तावक ट्रस्ट / सोसाईटी / कम्पनी जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्राधिकार के समक्ष अभिलेख सहित आवेदन समर्पित करेंगे। सक्षम प्राधिकार आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से संबंधित संस्थान का निरीक्षण कर अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे कि प्रस्तावक संस्थान के पास मानक के अनुरूप शैक्षणिक भवन, छात्रावास भवन एवं भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं। प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध भौतिक संरचनाओं एवं भूमि की उपलब्धता की विवरणी भी संलग्न करेंगे। उक्त प्रमाण पत्र तीन प्रति में तैयार किया जायेगा। एक प्रति निर्गत करने वाले कार्यालय में संधारित होगा। दूसरा प्रति प्रस्तावक संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा तथा तीसरी प्रति निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के नाम से स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) इसके उपरान्त प्रस्तावक ट्रस्ट / सोसाईटी / कम्पनी अनापति प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए नर्सिंग संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति हेतु निर्गत विहित प्रपत्र में आवेदन निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के नाम से करेंगें।

विश्वासभाजन

31/7/15

(संजय कुमार)
प्रधान सचिव।